

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5290/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DHARAMRAJ SINGH  
F/o Dr. Vinod Parmar  
Address- H.NO. 146 PHASE 01 RIVERA TOWN MANIT  
BHOPAL MP  
8982390839

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5291/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BALDEO AHIRWAR  
F/o Dr. Virendra Ahirwar  
Address- 205 KAILASH NAGAR SHOBHAPUR PKD DIST  
BETUL MP PINCODE 460449  
8109514091

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5292/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BHUWAN LAL KANWAR  
F/o Dr. Pushpendra Singh Kanwar  
Address- H.NO - 113 STREET LAINPARA CITY PALI DISTRICT  
KOBRA STATE CHHATTISGARH 495449  
8169533969

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5293/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. GULAB DAS  
F/o Dr. Rajkumar pachlaniya  
Address- HN. 22 PALASIROUNA HOSHANGABAD MP  
461001  
9993269492

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5294/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SURENDRA KUMAR DEVALIYA  
F/o Dr. Sulabh Devaliya  
Address- SANJAY WADR NEAR RAO SAHAB KI BAKHAR KE  
PAS NARSINGPUR MP PINCODE - 487001  
8989435378

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5295/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DARSHAN MAKHIJA  
F/o Dr. Suraj Makhija  
Address- 38, RANIBAGH-B KHANDWA ROAD INDORE MP  
PINCODE 452017  
9424501368

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5296/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DHARMENDRA TOMAR  
F/o DR. SHIVANGI TOMAR  
Address- PLOT NO. 48, SBI COLNY SINGLE STOREY  
BALDEOBARGH JABALPUR PIN 482002  
9329542195

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5297/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. CHUTTAN BAI MEENA  
F/o DR. NARENDRA KUMAR MEENA  
Address- VILL- POST-TALAB, THE- RAJGARH DIST- ALWAR,  
RAJASTHAN  
9601713214

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5298/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAM KISHAN  
F/o DR. MAHESH KUMAR  
Address- H.NO-1741, SECTOR-6 BAHADURGARH HARYANA-  
124507  
9467911741

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5299/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJ HANS  
F/o DR. SAKSHAM  
Address- B-69, RAJIV NAGAR, DELHI-110086  
9992771125

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5300/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BRIJ LAL  
F/o DR. RAJESH  
Address- 869/21, KAILASH COLONY ROHTAK, HARYANA-  
124001  
9802919808

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5301/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BALWAN PRAJAPATI  
F/o DR. SEEMA PRAJAPATI  
Address- GUDHA ROAD LAVKUSHNAGAR DISTT-  
CHHATARPUR M.P. 471515  
7411788996

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5302/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. GULABRAO AMRUTE  
F/o DR. BHUPENDRA AMRUTE  
Address- H.NO-75 VILLAGE GAUNA POST- SIRDI TEHSIL  
MULTAI DIST- BETUL M.P-460668  
8817753275

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5303/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. J L MERAWI  
F/o DR. NEHA MERAWI  
Address- H.NO. A/9 DEVANGRI RESIDENCY VILL-  
AMLESHWAR THE- PATAN DURG CG-  
9575315298

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5304/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MAQSOOD RAZA KHAN  
F/o DR. AISHA KHAN  
Address- 23 SAHARA PARISAR NEAR ST JOSEPH CONVENT  
SCHOOL IDGAH HILLS BHOPAL MP -462001  
9340612484

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5305/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. HARISHANKAR DIXIT  
F/o DR. AYUSH DIXIT  
Address- H.NO-37 REWA NAGAR COLONY NEAR CHADKYA  
SCHOOL NARSINGHPUR MP - 487001  
9770500085

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5306/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BIMAL KUMAR BHASKER  
F/o Dr.Arunima Bhaskar  
Address- H.NO-3 KUNJ VIHAR MAHARAJA ARCADE NEAR  
NANDAN CINEMA GARH ROAD MEERUT  
8171386070

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5307/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. moorat singh lodhi  
F/o Dr.Mahendra Singh Lodhi  
Address- 1518/57 NAVESH COLONY, GANGA NAGAR GARH  
JABALPUR 482003  
8882296711

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5308/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BALWINDER GOYAL  
F/o Dr.Mahak Goyal  
Address- H. NO. 681, SECTORE - PANCHKULA, HARYANA,  
134109  
8054521899

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5309/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MANOJ KUMAR JAIN  
F/o Dr. Mansi Jain  
Address- RAJENDRA KUMAR MANOJ KUMAR JAIN 221  
CHHOTI MASJIT HALI GUNA MP 473001  
9630820441

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5310/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SAROJ KANTI ROY  
F/o Dr. Pranoy Roy  
Address- BADRA BAROARITALA NABANKUR CLUB  
DURGANAGAR ITALGACHA S.O ITALGHACHA KOLKATA  
WEST BENGAL 700079  
7980885961

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5311/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHIV KUMAR SAHOO  
F/o Dr. Ashish Sahoo  
Address- C-29 M ACW AWARPUR, DIST CHANORAPUR,  
MAHARASHTRA 442917  
9669828358

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5312/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHAHID SHEIKH  
F/o Dr. Ashima Farrukh  
Address- 4 NO. 1506/3A NAVNIVESH COLONY GANGA  
NAGAR GARHA JABALPUR  
8839368130

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5313/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DINESH KUMAR JAIN  
F/o Dr. Anshul Jain  
Address- PLOT NO. 79 H.NO. 1541 GANGA NAGAR COLONY  
GARHA JABALPUR-482003  
9424913203

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5314/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BHAGWAN SINGH THAKUR  
F/o Dr.yogendra singh  
Address- VILL BHARKACHH KHURD PO BAGALWADA THE  
BARELI RAISEN MP PINCODE - 464668  
9165741466

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5315/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHANTIPRIYA DUBEY  
F/o Dr. priyanka dubey  
Address- RANI AWANTI BAI WARD, BEHIND HOTEL ASHOKA  
BUS STAND ROAD MANDLA MP -481661  
7415486966

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5316/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. D. HANMANDLU  
F/o Dr.suresh Dandu  
Address- 10-10-1077/98/16, BHARAT RANI COLONY  
NAGARAM, NIZAMABAD, NIZAMABAD DIST, TELANGANA  
7207760617

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5317/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PRAMOD SONI  
F/o Dr. Deepali Soni  
Address- BEHIND ADARSH GYAN SCHOOL JALPA DEVI  
WARD KATNI MP PINCODE - 483501  
6261744748

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5318/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. KAMLESH PRASAD SINGH  
F/o Dr. Tej pratap singh  
Address- RAMNAGAR EXT. BEHIND VINDHAYANCHAL  
SCHOOL DEWAS MP PINCODE - 455001  
9685496797

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5319/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. G S PAWAR  
F/o Dr.Chatrapal Singh  
Address- near collector residance sharda colony malahedi  
road hoshangabad mp pincode-461001  
8871871596

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5320/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJENDRA BHARTI  
F/o Dr. Aditi Bharti  
Address- H. NO. 61, PHASE 2, RIVERA TOWN, NEAR MATA  
MANDIR BHOPAL MP PINCODE - 462003  
9713196017

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5321/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SURESH KUMAR LILHARE  
F/o Dr.Anant kumar lilhare  
Address- H.NO. 311 SAVRI VILL SAVRI THE KHAIRLANJI  
DIST- BALAGHAT 481337  
9479494104

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5322/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJESH SONI  
F/o Dr. Mahendra Soni  
Address- 97 GAUTAM NARG NAYAPURA UJJAIN MP 456006  
9713632399

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5323/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. UDAY SINGH BHADAORIYA  
F/o Dr.Prateek Bhadoria  
Address- A-11, PHASE-1 IGAIL COMPLEX VIJAIPUR GUNA  
MP 473112  
8224093502

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5324/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. LAVKUSH PRASAD DWIVEDI  
F/o Dr.Jyoti Dwevedi  
Address- P-86/24 NEW OFFICERS BUILDING NEAR  
ELEPHANT STATUE NEW KIRBY POLACE COD DELHI CANTT,  
NEW DELHI 110010  
8989468787

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5325/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. NAGINBHAI PATEL  
F/o Dr.Ketul Choudhary  
Address- 28/B NEW LAXMINAGAR SOCIETY, RTO RAOD  
MODASA ARAVALLI GUJARAT 383315  
9755407553

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5326/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHIV NARAYAN TIWARI  
F/o Dr.Sapna Tiwari  
Address- H.NO-688 KRISHNA NAGAR, SATNA  
7649879887

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5327/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RASHNARAYAN PRASAD  
F/o Dr. Sujeet kumar  
Address- SADHNA BAZAR SAMITI, SANRHA, SARAN. BIHAR -  
841301  
8961046896

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5328/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SITA PRASAD GAUTAM  
F/o Dr. Aman gautam  
Address- B-536 N.C.L. JAYANT PROJECT SINGRAULI MP  
PINCODE 486890  
8819913912

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5329/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. KAMLAPRASAD PATEL  
F/o Dr. Pradeep patel  
Address- MIG 72 A KHANWANTRINAGAR JABALPUR  
JABALPUR MP PINCODE- 482003  
7405947546

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5330/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MD AKHTAR KHAN  
F/o Dr. Salman khan  
Address- WARD NO 01 RAOD SOHAGPUR NEAR TATA  
DOCOMO TAWAR SOHAGPUR SHAHDOL MP PINCODE -  
484001  
9424775545

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5331/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PRABHAKAR KOTHALE  
F/o Dr. Jayant kothale  
Address- H NO- 1943 PLOT NO. 37 IDEAL ESTATE  
POLIPATHAR ROAD JABALPUR MP PINCODE- 482008  
8349230500

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5332/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. KUNJAN SHENDE  
F/o Dr. Shubham shende  
Address- RAJEGAON BHANDARA MAHARASHTRA 441804  
7066581434

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर**

क्रमांक 5333/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SITARAM PRADHAN  
F/o Dr. Chinmaya kumar pradhan  
Address- H.NO - 3RF 2/1 KALAPANA AREA BJB NAGAR BBSR  
KHURDA ODISHA 751014  
8658634135

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5334/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJESH GOME  
F/o Dr. Abhishek gome  
Address- 46, narayan pura ujjain ujjain mp 456010  
9522155056

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5335/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJEEV GULATI  
F/o Dr. Yash gulati  
Address- 606,NRK VILLAS MANORAMAGANJ INDORE MP  
PINCODE - 452001  
8349429444

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5336/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PRAHLAD UIKE  
F/o Dr. Laxmi narayan uike  
Address- 02 pipliyahana gram indore mp 452001  
9827859320

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर**

क्रमांक 5337/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. JAYAPRAKASAN K  
F/o Dr. Vishnu j.  
Address- SANKARAMANGALAM, PANNIYANNUR,  
PANNIYANNUR POST, PARAL S.O.PARAL, KANNUR, KERALA,  
670671  
9446081772

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5338/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ASHOK DIWAKAR  
F/o Dr. Ravi diwakar  
Address- 154/26, NEAR KUSUM DEVI GARDEN ROYAL CITY  
BHOPAL 464001  
8889695203

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5339/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MAN SINGH KARPETEE  
F/o Dr. Anil karpeti  
Address- VILL. BARSOD, P.O.GADASARAI DINDORI MP  
481882  
8817720421

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5340/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. VINOD KUMAR SHARMA  
F/o Dr. Tushar sharma  
Address- D-125 SECTOR-55 NOIDA-201301(U.P)  
965044146

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5341/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. VINAY GUPTA  
F/o Dr. Alokik gupta  
Address- H.NO-1332, SECTOR -28 FARIDABAD, HARYANA  
742802670

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5342/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHYAM SUNDER MEENA  
F/o Dr. Naveen chholak  
Address- D-8 SUMAN ENCLAVE COLONY, NEAR KUNDAN-  
PURA PHATAK JAGATPURA JAIPUR RAJASTHAN-302017  
7022842103

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5343/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BADRI PRASAD MISHRA  
F/o Dr. Girija nandan mishra  
Address- H.NO. 3347 ADARSH NAGAR COLONY KATRA  
ADHARTAL JABALPUR MP - 4820004  
9644412362

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5344/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. REWA SHANKAR JOHARI  
F/o Dr. Vedant johari  
Address- 303, A2 BLOCK, SANSKRITI PARISAR, IDA FLATS,  
SAMVAD NAGAR, NAVLAKHA SWUARE INDORE MP 452001  
9407449682

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5345/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DINESH KANT  
F/o Dr. Agam kant  
Address- VIVEKANAND COLONY, GANESHPURA MORENA  
MP-476001  
9754347221

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5346/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DEEPAK KHANDELWAL  
F/o Dr. Pranay khandelwal  
Address- GUPTA CITY CABLE BADA BAZAAR  
NARRULLAGANJ AT SEHOLE (MP)-466331  
8989441905

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5347/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SUBHASH CHANDRA SHARMA  
F/o Bhavya Chiti  
Address- C/O DR. SHUSHMA, BEHIND GOVERNMENT  
HOSPITAL THANA ROAD KHAGAUL, PATNA BIHAR PINCODE  
801105  
6201041257

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5348/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHREEKANT Y. TRIVEDI  
F/o Moha Trivedi  
Address- 401, TRIVEDI TOWER J.N. ROAD MULUND WEST  
MUMBAI SUBURBAN MAHARASTRA 400080  
8889524644

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5349/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ASHOK SINHA  
F/o Astha Sinha  
Address- DATT DUPLEX NO. 3 RAILWAY STADIUM CHOWK  
IN FRONT OF PARYATAN BHAVAN BEHIND COLLECTRATE  
JABALPUR 4820001  
9893677353

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5350/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. P SUBRAMANIAM IYER  
F/o Dr. Sowmya Iyer  
Address- EH-14, HIG NEHRU NAGAR OPPO. MOTHER  
TERESA AASHRAM BHOPAL MP-462003  
7987175987

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5351/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DILIP SINGH JADON  
F/o Dr. Sweta Singh Jadon  
Address- GALI NO. 1 KAURARA BYPASS ROAD NEAR MD  
JAIN INTER COLLEGE SIRSAGANJ FIROZABAD UP - 283151  
9039588469

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5352/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PAWAN KUMAR PATWA  
F/o Dr. Palak Patwa  
Address- ASHOK NAGAR, BARAPATHAR SEONI MP  
9425969778

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5353/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SAHIDAS EKKA  
F/o Dr. Akansha Ekka  
Address- H.NO- 1390-2, KATANGI ROAD SHANKAR NAGAR  
KARMETA NEAR RELIANCE TAWAR LAMTI JABALPUR MP  
482002  
8349518094

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5354/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DESH RAJ SINGH  
F/o Dr. Priyanka Singh  
Address- F3 ASTHA PARISAR NEW RAM NAGAR AKHARTAL  
JABALPUR MP PINCODE 482004  
9589532749

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5355/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. GAJENDRA CHAWLA  
F/o Dr. Aashul Chawla  
Address- HN. E7 378 STREET ARERA COLONY CITY BHOPAL  
MP 462016  
8308882997

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5356/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHAILENDRA KUMAR TRIPATHI  
F/o Dr. Richa Tripathi  
Address- 5/17/83 SHAKTI NAGAR COLONY DEVKALI ROAD  
FAIZABAD UP PINCODE - 224001  
9407587522

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5357/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAKESH TRIPATHI  
F/o Dr. Ritika Tripathi  
Address- CIVIL LINES KOTHI ROAD MITHU BEAUTY  
PARLOUR SATNA MP SATNA MP PINCODE - 485001  
8839133822

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5358/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BIRENDRA SARAHIIYA  
F/o Dr Pinky  
Address- SENIOR GIRLS HOSTAL JAYA ROGYA HOSPITAL  
CAMPAS GWALIOR MP PINCODE - 474001  
8319587573

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5359/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. C P SURENDRAN  
F/o Dr Arya Surendran  
Address- SOPANAM, KARETTA, URUVAUTAL PO,  
MATTANUR VA, KANNUR, KERALA 670702  
9645048632

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5360/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MUKESH TIWARI  
F/o Dr Mishi Tiwari  
Address- R-8 SAINIK SOCIETY SHAKTI NAGAR, JBALPUR MP  
482001  
94074771747

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5361/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SACHIDULAL RAYCHAUDHURI  
F/o Dr Arkojyoti  
Address- B-11/141KALYANI NADIA WEST BENGAL-741235  
9437555569

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5362/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RADHAY SHYAM VERMA  
F/o Dr Rahul  
Address- D-40 AAMRA ESTATE, NAYAPURA KOLAR ROAD  
BHOPAL MP-462042  
9425352424

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5363/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SURESH CHANDRA DOHARE  
F/o Dr Purushottam  
Address- 91 KALIDEVI VTC RAMA PO RAMA SUBDIST-  
JHABUA MP-  
8770225398

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर**

क्रमांक 5364/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. CHHOTE LAL TEKAM  
F/o Dr Arvind  
Address- QR NO. V3 SPM CISP HOSHANGABAD MP-461001  
79746883533

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5365/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ISHWAR  
F/o Dr Akshay Ishwar  
Address- ROOM NO-314, RAJIV INDIRA CHS, KALYANWADI,  
SION MAHIM LINK ROAD , DHARAVI MUMBAI-400017  
9920669399

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5366/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. JEETENDRA SINGH RAJPOOT  
F/o Dr Mohit S Rajpoot  
Address- 16/2 TYPE-2 RANGEHILLS ESTATE KHADKI PUNE  
MAHARASTRA  
8698748193

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5367/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. CHANDRA PAL  
F/o Dr Sachin Verma  
Address- VILL-BHARALA POST- DAURALA THE-SARDHANA  
DIST-MEERUT (U.P.)  
7803802139

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5368/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PALA VARVA CHAVDA  
F/o Dr Jayesh Chavda  
Address- A3201, CLOUD36, SECTOR-11, GHANSOLI, NAVI  
MUMBAI-400701  
9158928565

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5369/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. AUJENDER SINGH  
F/o Dr Sumit Singh  
Address- 953/5 PATEL NAGAR, GUGAON, HARYANA-  
122001  
8851984138

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5370/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PRADEEP DESHMUKH  
F/o Dr Parth Deshmukh  
Address- HIG 10 SARASWATI NAGAR, JAWAHAR CHOWK  
BHOPAL MP 462003  
7747089411

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5371/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJESH SHRIVASTAVA  
F/o Dr Rohit Shrivastava  
Address- H.I.G:209, D.K. ROOC APARTMENT OPP. AWRA  
MALL E/8 TRILAMGA BHOPAL  
9826578792

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5372/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAVINDRA KUMAR GAUTAM  
F/o Dr Maithily Gautam  
Address- A 71 PHASE I , AMRA VIHAR NEAR LALITA NAGAR  
BUS STOP NAYAPURA KOLAR ROAD BHOPAL - 462042  
9424602410

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5373/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MANOJ SARAF  
F/o Dr Mansi Saraf  
Address- H NO. 76 NAKODA NAGAR, BHANDARIYA ROAD  
KHANDWA MP 450001  
9424050071

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5374/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJESH KUMAR RAI  
F/o Dr Roshni Rai  
Address- H N 1110, GREEN CITY MADHOTAL JABALPUR MP-  
482002  
8319161158

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5375/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHAILESH NELSON  
F/o Dr Meenal Nelson  
Address- KAVERI NAGAR, NEAR S A F CHHINDWARA MP-  
480001  
7974977983

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5376/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. N L PRAJAPATI  
F/o Dr Ravi Prajapati  
Address- MIG-166, NEAR ST. MARY SCHOOL, GOUR  
NAGAR, MAKRONIA SAGAR MP-470004  
7000873005

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5377/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MANOHAR PATIDAR  
F/o Dr Harshit Patidar  
Address- WARD NO. 14 SARDAR PATEL MAR, SUNDREL  
ROAD DHAMNOD DHAR MP 454552  
7024716865

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5378/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BHARAT SINGH KUSHRAM  
F/o Dr Vivek Kushram  
Address- VILL-DUDKA POST-ANJANIA DIST- MANDLA(M.P) -  
481998  
8989856219

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5379/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHIV KUMAR DEHARIYA  
F/o Dr Prerna Dehariya  
Address- 41/314, SOUTH CIVIL LINES NEAR JAIN MANDIR,  
GULABRA CHHINDWARA MP-480001  
9555663492

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5380/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DIWAN SINGH  
F/o Dr Rohit Mandloi  
Address- H2 GOVT. PLYTECNIC CAMPUS SANJAY NAGAR  
UMARKHALI ROAD KHARGONE WEST NEMAR MP 451001  
7224825072

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5381/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. JAYANTA JANA  
F/o Dr Sinjan Jana  
Address- D-201, RAJARAJESHWARI NIVAS, OFF HOSUR  
ROAD , VAIPAL NAGAR, BEHIND HTMT, BOMMANHALLI,  
BANGLORE SOUTH BANGLORE KARNATKA 560068  
9740607599

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5382/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PRAMOD KUMAR GUPTA  
F/o Dr Mrityunjay K Gupta  
Address- room no. 237 BOYS HOSTAL BUNDELKHAND  
MEDICAL COLLAGE SAGAR MP - 470001  
8982717482

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5383/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJEEV CHANDRA SINGH KHATI  
F/o Dr Ayush Khati  
Address- H.NO. - 318 B, LEELA NEWAS, BINSAR COLONY,  
NEAR RAINBOW PUBLIC SCHOOL, BITHORIA NO-1, POST -  
HARIPUR NAYAK, HALDWANI, NAIN TAL, UTTARAKHAND -  
263139  
9410116090

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
M.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5384/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. VIJAY KUMAR  
F/o Dr Vivek V Kumar  
Address- D-4/16 CHAR IMLI, NEAR UPANT COLONY BHOPAL  
MP PINCODE - 462016  
9833952601

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5385/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAVINDRA LOKHANDE  
F/o Dr Ankush Lokhande  
Address- H.NO. 204, DURGA COLONY, BAI KA BAGICHA,  
GHAMAPUR , JABALPUR  
7030105915

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5386/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ABHAY KUMAR JAIN  
F/o Dr Ankur Jain  
Address- AM 61 HOUSING BOARD COLONY WARD NO. 04  
PITHAMPUR DHAR DHAR MP 454775  
8839339456

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5387/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DHANANJAY NIVASARKAR  
F/o Dr Nivasarkar S Dhananjay  
Address- SA NO. 282/B PLOT NO. 37, NEAR JANAI MALAI  
COLONY KODOLI SATARA, SATARA MAHARASTRA 415004  
7391802998

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5388/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. NAGARAJU  
F/o Dr Jagadish N  
Address- BANDIRANGANATH FACTORY BONNASANDRA  
INDL AREA PHASE HEBBAGAODI ANEKAL TALUK,  
BANGLORE KARNATKA 560099  
9731037328

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5389/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PERUMAL C  
F/o Dr Suresh K P  
Address- H. NO - 26, 7TH BLOCK, MOGAPPAIR WEST,  
CHANNAI - 600037  
9445044329

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5390/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. KANAKADURGARA B V  
F/o Dr Rajesh B  
Address- HN. 99 STREET MARALIBASAVANNA CITY  
SRIRAMNAGAR DISTRICT KOPPAL STATE KARNATAKA  
583282  
9901999194

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5391/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SUDESH AGARWAL  
F/o Dr Namrata Agarwal  
Address- M-311 SHREE RAMESHWARAM 3RD FLOOR  
GAUTAM NAGAR BHOPAL MP PINCODE - 462023  
8989273569

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5392/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MOHAR SINGH LODHI  
F/o Dr Naresh Lodhi  
Address- HOSTEL NO- 1, TAKSHSHILA NSCB MEDICAL  
COLLEGE JABALPUR MP PINCODE - 482003  
8358003326

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5393/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ASHENDRA SINGH  
F/o Dr Pankaj Singh  
Address- MIG 8 NAVRANG PARK COLONY BIRLA ROAD  
SATNA MP PINCODE 485001  
8319234656

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5394/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BASORI LAL NAMDEO  
F/o Dr Harsh Namdeo  
Address- 2001 EKTA VIHAR RATAN NAGAR JABALPUR MP  
PINCODE - 482001  
9424704792

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5395/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. HIRA LAL MAJHI  
F/o Dr Dhananjai Majhi  
Address- WARD NO. 1 NEAR HIGHER SECONDARY SCHOOL  
NIPANIYA REWA MP PINCODE - 486001  
9537521986

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5396/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MOTILAL SINGH  
F/o Dr Atul K Khare  
Address- 25 VILL BELA CHIBOURA THE RAMPUR BAGHELAN  
SATNA MP PINCODE - 485111  
9179096249

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5397/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ABHAY SHRIVASTAVA  
F/o Dr. Ananya Shrivastava  
Address- 967/20, SOUTH CIVIL LINES, OPP. NAVYUG  
COLLEGE JABALPUR, JABALPUR MP 482001  
7869543736

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5398/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. KALU SINGH SOLANKI  
F/o Dr. Asha Solanki  
Address- ROOM NO. 59 GIRLS HOSTEL BUNDEKHAND  
MEDICAL COLLEGE SAGAR MP PINCODE - 470001  
8602663469

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5399/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ASHISH DUBEY  
F/o Dr. Ashita Dubey  
Address- 1440 WRIGHT TOWN SATYA ASHOKA HOTEL  
ROAD JABALPUR MP PINCODE - 482002  
9754073277

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5400/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. VIJAY KUMAR MISHRA  
F/o Dr. Dhatri Mishra  
Address- C-33/211 2 A CHANDUA CHHITTUPUR VARANASI  
UP 221002  
9354570186

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5401/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. NEMICHAND KAG  
F/o Dr. Kiran Kag  
Address- VILLAGE POST TALWADA TEHSIL KUKSHI KHAR MP  
PINCODE454331  
9753955920

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर**

क्रमांक 5402/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. J P VERMA  
F/o Dr. Rohini  
Address- FLAT NO. D1, PLOT NO. RZD 3/252 GALI NO. 9,  
MAHAVIR ENCLAVE PALAM SOUTH WEST DELHI PINCODE  
110045  
8962819953

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5403/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ONKAR SINGH  
F/o Dr. Rupali Singh  
Address- Q.NO. G2/4 VIKAS NAGAR 27 KHOLI BILASPUR,  
CHHATISGARH  
8871819331

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5404/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ASHOK KUMAR SHARMA  
F/o Dr. Anupama Sharma  
Address- 13/699 TT NAGAR KESHAV COLONY MORENA  
MORENA MP PINCODE - 476001  
8770359629

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5405/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SURAJ PRAKASH RANE  
F/o Dr. Mona Rane  
Address- A-2 606 BALAJI HEIGHTS MAHALAXMI NAGAR  
INDORE INDORE MP PINCODE 452010  
9617422072

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5406/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. AWADHESH KUMAR SINGH  
F/o Dr. Neetika Singh  
Address- WARD 32/34 PREM VIHAR COLONY SATNA MP  
PINCODE - 485001  
9340828967

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5407/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BAL KISHAN ARYA  
F/o Dr. Reema Arya  
Address- RB-3 45A RAO;WAU CP;PMU TAMSEM ROAD  
LOCO, GWALIOR, MP PINCODE- 474002  
8989599757

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5408/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJ KUMAR VERMA  
F/o Dr. Sadhna Kumari Verma  
Address- QTR NO NM 302 NCL AMLORI PROJECT  
SINGRAULI SINGRAULI MP PINCODE - 486887  
8982329624

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5409/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. S S YADAV  
F/o Dr. Sujata Yadav  
Address- HANUMAN COLONY BARAI RAOD BADARWAS  
SHIVPURI MP PINCODE - 473885  
8982475540

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5410/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ANIL SINGHAI  
F/o Dr. Akansha Singhai  
Address- 20 SARAIPURA LALITPUR VITAR PRADESH 284403  
9451257157

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5411/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DR. GANPAT SINGH BAGHEL  
F/o Dr. Aparna Baghel  
Address- 79, SHIVALIK KALINDI MID TOWN INDORE MP -  
452016  
9584740597

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5412/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MOHAMMAD JAMEEL KHAN  
F/o Dr. Azra Khan  
Address- HNO. 2020 NEAR MANNULAL HOSPITAL  
DIXITPURA JABALPUR-482001  
9755691127

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5413/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BHOOPENDRA SINGH RAJPOOT  
F/o Dr. Bhoomija Rajpoot  
Address- CHANKIJI WARD HATTA, DAMOH MP-470775  
9039214292

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5414/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. NITIN SARAF  
F/o Dr. Divya Saraf  
Address- 313 TILAK NAGAR, INDORE MP-452018  
9407414178

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर**

क्रमांक 5415/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MUNESH MAURYA  
F/o Dr. Gauri Maurya  
Address- 514, SURESH NAGAR THATIPUR GWALIOR  
9179475807

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5416/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ANIL GUPTA  
F/o Dr. Khyati Gupta  
Address- E/F, SHUBH PURNA HOMES, BEHIND STANDARD  
AUTOAGENCIES, NAPIER TOWN, JABALPUR, MP -482001  
8989400858

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5417/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PARVAT SINGH MANDLOI  
F/o Dr. Kirti Mandloi  
Address- SUNDAR NAGAR, BISTAN ROAD KHARGONE  
WARD 13 KHARGONE(WEST NIMAR) MP-451001  
8770375109

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5418/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SUSHIL KUMAR  
F/o Dr. Kumari Snigdha  
Address- HIG A/23 SONE GANGA COLONY, SEEPAT ROAD,  
BILASPUR PO SECL C.G.-495001  
9993326034

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5419/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SURESH NAIN  
F/o Dr. Malika Nai N  
Address- H.NO. 2810 SECTOR 46 GURGAON HARYANA -  
122003  
7869467815

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5420/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. JAYRAM PATIDAR  
F/o Dr. Pragya Patidar  
Address- PATIDAR, GENERAL STORE MAIN ROAD,  
GHATABILLOD, DEHRISARAY, DIST. DHAR 454773  
7748818694

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5421/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. KANCHAN SINGH THAKUR  
F/o Dr. Priyanshi Thakur  
Address- KRISHI COLONY, SANJAY NAGAR, BINJHIYA  
MANDLA M.P.  
8989565728

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5422/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHIV KUMAR KHANGER  
F/o Dr. Raksha Singh  
Address- H NO. 13 LITORIYA GALI RAIGARH GATE KE PASS  
DATIA MP -475661  
8319024943

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5423/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. GOPAL KHANDELWAL  
F/o Dr. Rakshita Khandelwal  
Address- H.NO-C295 FLAT NO. 301 VANDANA APARTMENT  
TALWANDI KOTA RAJASTHAN PINCODE.  
8764314328

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5424/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BINDA PRASAD MANHAR  
F/o Dr. Ranu Manhar  
Address- VILL- BHUIGADN, KHARKHOD TET-PAMGARH,  
DIST-JANIGIR CHAMPA (C.G.)  
7909720329

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5425/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DINESH  
F/o Dr. Roshni Tiwari  
Address- B/304 RAJ NAGAR OPPO HOTEL MAHARAJA  
GHARATAN PADA-2 GHARAJAN PADA-2 DAHISAR  
MUMBAI-400068  
8779060514

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5426/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SOMWANSHI BALBHIM SANGRAM  
F/o Dr. Seema Somwanshi  
Address- NIDEBAN GAON TQ. UDGIR DIST. LATUR STATE-  
MAHARASHTRA 413517  
9405424350

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5427/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAMJAN BHATI  
F/o Dr. Sumera Bhati  
Address- WARD NO. 9, NEAR BAID HOSPITAL, LADNUN  
ROAD SUJANGARH RAJASTHAN-331507  
7829320661

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5428/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. VINOD KUMAR GUPTA  
F/o Dr. Surabhi Gupta  
Address- B-142, SECTOR-52, NOIDA G.B. NAGAR U.P.-  
201301  
859688852

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5429/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. YIN CHAI CHOU  
F/o Dr. Tehin Chou  
Address- 848, NORTH CIVIL LINES 2630 NAPIER TOWN,  
JABALPUR  
9589181616

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5430/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. UTTAM CHAND GUPTA  
F/o Dr Rahul Gupta  
Address- 9770621628  
0

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5431/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MANOHARAN G  
F/o Dr Heyma Krishna  
Address- MIG 12 HOUSINGBOARD HOSUR KRISHNAGIRI  
TAMILNADU 635109  
9488712642

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5432/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MADU KHARADEE  
F/o Dr Rajesh Kharadi  
Address- RAJGARH ROAD VILLAGE RATIMALI POST PARA  
TEHSIL AND DISTRICT JHABUA MP PINCODE - 457661  
8819909165

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5433/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAMANUGRAH MISHRA  
F/o Dr Satendra  
Address- HOSPITAL CAMPUS CIVIL HOSPITAL MAIHAR  
SATNA MP PINCODE - 485771  
9584001789

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5434/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. A BALASUNDARAN  
F/o Dr Pournami  
Address- MANGATTU HOUSE, PAZHAMBALA KODE PO  
TARUR-1, ALATHUR, PALAKKAD KERALA PINCODE- 678544  
8157051601

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5435/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BHAGWAN PARIHAR  
F/o Dr Sandeep Parihar  
Address- VILL- HARIPURA POST-KITHUD THE - BARWAHA  
KHARGONE MP -451115  
8966926558

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5436/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. NATARAJAN P  
F/o Dr Gowtham  
Address- NO. 20, 1ST WARD, NORTH CAR STREET OLD  
PALANI, DIN 624613 TAMILNADU  
7868929964

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5437/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAMCHANDRA BHUTDA  
F/o Dr Kirtish Bhutda  
Address- 459 SUDAMA NAGAR NEAR TRIVENI CORNER  
INDORE MP 452009  
8602466921

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5438/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SIVARADJOU  
F/o Dr Vijay kumar  
Address- NO.3 MARIAMMAN KOIL STREET,  
METTUPALAYAM, PUDUCHERRY-605009  
8072433831

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5439/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. AGRAWAL NITIN MAKKHAN  
F/o Dr. Agrawal Nitin  
Address- P.NO. 30, GOPAL COLONY, BORAKUTE LAYOUT,  
NARENDRA NAGAR, NAGPUR 440015  
9284785701

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5440/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAM SEWAK SINGH  
F/o Dr.Sanjay Shree  
Address- 44, PROPESSOR COLONY, CHAMDANALA ROAD,  
SAHEBGANJ, BHAGALPUR-BIHAR 812004  
8986544215

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5441/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHAINBORLANG GAROD  
F/o Dr.Rangkit bok Suchiang  
Address- HOUSE NO. 58, CENTRAL 2, DOHKSEH EAST KHASI  
HILLS, SHILLONG, MEGHALAYA 793006  
7278194813

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5442/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SUNIL AGRAWAL  
F/o Dr.Pratik Sunil Agrawal  
Address- PLOT 217, NEAR VIKAS MEDICAL DESHBANDHU  
WARD, GONDIA 441601  
8888168641

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5443/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SRINIVASA RAO  
F/o Dr.Sahitya Rao  
Address- 40, DHANWANTARI NAGAR, SEWAGRAM ROAD,  
WARUD WARDHA MPHARASHTRA  
9689034523

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5444/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAVI KUMAR ASTHANA  
F/o Dr.Aman Asthana  
Address- 131/132 OM NAGAR COLONY BEHIND  
SUNDARAM LAWN ADITYA NAGAR CHIAIPUR VARAMASI  
UP  
8545885553

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5445/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PRALHAD DIVAN  
F/o Dr. Pavan P. Diwan  
Address- A/P SOUNDATTI(B) TQ-RAIBOG DIST-BELGAVI,  
KARNAKATAKA  
8147497343

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5446/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ROY IT  
F/o Dr.Ria Roy  
Address- JOHN'S DALE, KARALAKAM WARD  
JHATHAMPALLY P.O, ALLEPPEY  
7736191956

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5447/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SWAPAN KUMAR CHATTOPADHYAY  
F/o Dr.Trisha chatterjee  
Address- 5/7, PASCHIM PUTIARY KOLKATA- 700041, WEST  
BENGAL  
7749996005

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5448/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAMESH KUMAR  
F/o Dr. Yogesh Sanwaria  
Address- A-163 BUDH NAGAR INDERPURI  
9990383684

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5449/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJANIKANT JAIN  
F/o Dr.Rajul Jain  
Address- 593/A-1 ANAND COLONY, UKIRI ROAD CHERITAL  
WARD JABALPUR MP 482002  
8878384260

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5450/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJESH AGARWAL  
F/o Dr.Upasana Agrwal  
Address- SHARDA NIWAS, STANDARD FLOUR MILL, WARD-  
13, BASODA(VIDISHA) PIN-464221  
8305326438

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5451/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJEEV KUMAR SOHANE  
F/o Dr. Medha Sohane  
Address- 636/241, TAKROHI MARKET, INDIRA NAGAR,  
LUCKNOW, UP 226028  
8226032935

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5452/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. REWARAM MANDLOI  
F/o Dr.Sarita Mandloi  
Address- M 16 KALINDI KUNJ BRIJ VIHAR COLONY,  
KARGONE KHARGONE MP 451001  
8305698567

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5453/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. JAI KRISHAN SOOD  
F/o Dr.Sandeep Sood  
Address- 101 DR JP KAPOOR NEHRU NAGAR NEAR  
MEDICAL COLLEGE JABALPUR-482003  
8602471304

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर**

क्रमांक 5454/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. GOPAL BHURIYA  
F/o Dr.Rohit Bhuriya  
Address- 43, EKTA NAGAR, BARWANI MP  
7999465402

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5455/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. CHANDRA BHAN BAGRI  
F/o Dr.Dharmendra singh  
Address- WARD NO. 05 VILL-TIGHARA BUJURG POST-  
SHYAMARDANDA. DIST- PANNA MP  
9753931599

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5456/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SURENDRA VERMA  
F/o Dr. Pragati Verma  
Address- 98 SAMVAD NAGAR IDA BUILDING ANAND  
PARISAR BLOCK B-5 FLAT NO. 103, INDORE MP-452001  
9630162111

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5457/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. HEMESH BANSAL  
F/o Dr.Ayushi Bansal  
Address- 103, BHAGWANTI APPARTMENT 4 , KURGA  
NAGAR, NAVLAKHA, INDORE MP-452001  
812061387

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5458/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SANTOSH JAIN  
F/o Dr.Nishtha Jain  
Address- LIG A 7/13, VED NAGAR UJJAIN MP-456010  
7987881980

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5459/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. VIJAY RAIKIERE  
F/o Dr.Lokesh Raikwar  
Address- PRAKASH ELECTRONIC, BOMBAY ROAD NEAR  
AGRAWAL DHARAMSALA HARDA MP 461331  
9594871622

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर**

क्रमांक 5460/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ATUL KUMAR VERMA  
F/o Dr.Akshay B. Verma  
Address- ROOM NO. 118, BOYS HOSTEL 4 GOVERNMENT  
MEDICAL COLLAGE, NAGPUR NAGPUR MAHARASTRA  
PINCODE - 440009  
9527022912

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5461/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PRAMOD KUMAR GUPTA  
F/o Dr.Shubham Gupta  
Address- HNO 108 NEHRU NAGAR MEDICAL COLLEGE  
JABALPUR MP PINCODE - 482003  
9999933419

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5462/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ARUNKUMAR MISHRA  
F/o Dr.Jay Prakash A.Mishra  
Address- SHREE MACHIHI MAHAJAN APARTMENT, H. NO.  
11/301 BARUDIA SHERI, NANI DAMAN, DAMAN AND DIU  
PINCODE- 396210  
9998465147

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5463/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MANJUNATHA M  
F/o Dr.Chandra Moli M.  
Address- HN. 11 STREET NERNAKALLU CITY CHINTAMANI  
DISTRICT CHICKBALLAPUR STATE KARNATAKA 563128  
9480659528

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5464/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. GIRISH KUMAR UPADHYAY  
F/o Dr.Ila Upadhyay  
Address- E7 KRISHI NAGAR ADHARTAL JABALPUR  
JABALPUR MP PINCODE - 482004  
8989535504

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5465/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. KANHAIYA LAL KORI  
F/o Dr.Pradeep Kumar Kori  
Address- WARD NO. 6 SAHU MOHALLA VILLAGE UMARIA  
MP PINCODE 484661  
9165516089

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5466/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJARAM  
F/o Dr.Avinash Kumar Dhakad  
Address- WARD NO. 1 TIJORI COLONY BHANPURA  
BHANPURA MANDSAUR MP PINCODE - 458775  
7974917304

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5467/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SANKER LAL MISHRA  
F/o Dr.Akash Mishra  
Address- MISHRA GALI OLD CITY DHOLPUR RAJASTHAN  
328001  
8279221098

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5468/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHANKAR LAL KOROPA  
F/o Dr.Sachin Koropo  
Address- 209,d.k, surbhi apartment near petrol pump  
gomti colony, nehru nagar huzur bhopal mp 462003  
9009876565

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5469/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DESH RAJ SINGH  
F/o Dr.Priyanka Singh  
Address- F3 ASTHA PARISAR NEW RAM NAGAR AKHARTAL  
JABALPUR MP PINCODE 482004  
9589532749

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5470/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAMRAKHAN MISHRA  
F/o Dr.Akhil K.Vijayan  
Address- WARD 15 KACHNAR HANUMANA REWA MP  
PINCODE - 486335  
9755275767

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5471/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. S.L. PATEL  
F/o Dr Pushplata Patel  
Address- V.V. VIHAR COLONY STREET NO.5 MOVA RAIPUR  
C.G  
8827194917

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5472/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SURESH YADAV  
F/o Dr Kanishk Yadav  
Address- PLOT NO-369 WARD 5/A ADIPUR, KACHCHH,  
GUARAT -370205  
9712041048

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5473/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. CHAUDHARI MOHAN YADAV  
F/o Dr Krunal choudhari  
Address- 19, PANCHAYAT SARVALA AT POST-SARVALA TA.  
NIZAR TAPI GUJARAT -394370  
8208716680

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5474/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MAYA KALYANI  
F/o Dr Akshata kalyani  
Address- E-3 CRP LINE, REGIONAL HEALTH AND FAMILY  
WELFARE TRAINING CENTER, INDORE,MP  
0

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5475/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAMSAKHI GOSWAMI  
F/o Dr. Vibha Goswami.  
Address- H.NO. 19 ISHAN PARISAR PHASE-2 ITI ROAD  
HOSHANGABAD MP  
7224806851

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5476/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHANMUGAM P  
F/o Dr. Karthik Vamsee P.S.  
Address- 5 AND 6, KAMADHENU ENCLAVE 10 1ST FLOOR,  
MOGAPPAIR EAST MOGAPPAIR, TIRUVALLUR, MOGAPPAIR,  
TAMILNADU, 600037  
9176130811

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5477/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MOHANAM PILLAI  
F/o Dr. Mithun Mohan.  
Address- KRISNA VIHAR, BHOOTHAKULAM, KOLLAM,  
KERALA - 691302  
9746027727

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5478/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MURUGESAN S  
F/o Dr. Tulsi R. Sundar.  
Address- A32/1 SORNAMALAR STREET, 67 H MAIN ROAD  
GOMATHIPURAM, MADURAI, TAMIL NADU - 625020  
9940907914

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5479/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DIVAKARAN.C  
F/o Dr. Nishita Diwarkar.  
Address- ANASWARA 80 D JAWAHAR NAGAR CHEMBULLY  
ROAD KANNIAMPURAM OTTAPPALAM KANNIAMPURAM,  
OTTAPPALAM PALAKKAD KERALA- 679104  
9092587357

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5480/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. KERIYA TADWAL  
F/o Dr. Ritu Tadwal.  
Address- 198 SHASTRI VIHAR TRIMURTI NAGAR JABALPUR  
MP PINCODE - 482001  
8085406830

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5481/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. JAYPRAKASH JAISWAL  
F/o Dr. Vinay Jaiswal.  
Address- N 259 SINGAPOUR GREEN VIEW TALAWALI  
CHANDA INDORE MP PINCODE - 452010  
9074822560

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5482/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SUNIL KUMAR SINGH  
F/o Dr. Jyoti Chauhan.  
Address- 486/4 SURAKSHA NAGAR, ICR ROAD AHIRWAR,  
KANPUR(UP)-808007  
9457510861

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5483/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. TARANPREET SINGH AHLUWALIA  
F/o Dr. Hartaj Ahluwalia  
Address- 492, PREET CHHAYA OPP. RAM MANDIR, MADAN  
MAHAL JABALPUR MP  
8989094111

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5484/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SADHAR SINGH  
F/o Dr. Yashu Singh.  
Address- PURANI BASTI TEGA BABA CHOWK P.S. KARGI  
ROAD DIST. BILASHPUR C.G -495001  
9893001241

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5485/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MUKESH MARAN  
F/o Dr. Rani Maran.  
Address- H. NO. 419 WARD 24, VILLAGE PIPALIYA GAJJU  
MANDIDEEP RAISEN MP-462046  
8959093195

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5486/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ISHWAR PRASHAD BAGRI  
F/o Dr. Sucheta Bagari.  
Address- ROOM NO. 19 G BLOCK GIRLS HOSTEL GANDHI  
MEDICAL COLLEGE BHOPAL 462001  
9131454173

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5487/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. NAMDEO BHUMARKAR  
F/o Dr. Arun Bhumarkar.  
Address- ROOM NO.-117, BOYS HOSTEL 04, GMC NAGPUR,  
MEDICAL SQUARE NAGPUR MAHARASHTRA -440003  
8237282870

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5488/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MAHENDRA KUMAR  
F/o Dr. Yuvraj Singh.  
Address- 431-B JAG JEEVAN RAM NAGAR NEAR  
HANUMAAN CHAUK INDORE MP 452011  
8447848968

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5489/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. S K KUSHWAH  
F/o Dr. Nisha Kushwaha.  
Address- C/O GOVIND PRASAD SONI WARD NO. 15  
HALWAI KHANA KILA ROAD BHIND MP-477001  
8319048960

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5490/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. KANCHAN PRABUDDHA  
F/o Dr. S.C. Prabuddha.  
Address- HNO 109/KH WARD NO. 03 OPPOSITE PRIMARY  
SCHOOL BHEDAGHAT JABALPUR MP PINCODE 483053  
9329470695

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5491/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJJAN SINGH DANGI  
F/o Dr. Bhagwan S. Dangi.  
Address- HN. E50 SECOND FLOOR GAUTAM NAGAR, NEW  
DELHI PINCODE - 110049  
9991179758

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5492/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAMESH KUMAR  
F/o Dr. Arachana Kumari.  
Address- flat NO 103, IPSITA APARTMENTS NEAR MAKAN  
KHABA RANCHI JHARKHAND PINCODE - 834001  
9479639351

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5493/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. N.K. GAUR  
F/o Dr. Divyansh Gaur.  
Address- BEHIND SHIVMANDIR TALKIES,A.B. ROAD  
SHIVPURI MP PINCODE - 473551  
9435975530

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5494/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. CB CHAUBEY  
F/o Dr. Shriti Priya.  
Address- c11, INDIAN OIL COLONY SECTOR O, ALIGANJ  
LUCKNOW UP PINCODE - 226024  
8374745798

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5495/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SRIBATSA LANCHHAN DAS  
F/o Dr. Shatarupa Das  
Address- PLOT NO.- 201/4, ROAD-8, UNIT-9  
BHUBANESWAR, ODISHA. PIN- 751022  
8249155691

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5496/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PREMNARAYAN MALVIYA  
F/o Dr. Khushboo Malviya  
Address- H.NO-39 VINEET , KUNJ, KOLAR ROAD BHOPAL  
MP-462042  
9584112889

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5497/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. HARJEET SINGH BAGGA  
F/o Dr. Hasmeet Bagga  
Address- 87, SHREE VISHALA, DEWAS ROAD UJJAIN MP -  
456010  
6264484629

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5498/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAMHET SINGH YADAV  
F/o Dr. Jyoti yadav  
Address- F 4 OLD DOCTOR COLONY, MEDICAL CAMPUS  
REWA MP-486001  
939946105

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5499/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SIYA RAM AHIRWAR  
F/o Dr. Preeti Bharti  
Address- BEHIND PLYTECHNIC COLLEGE DHONGA ROAD,  
TIKAMGARH MP-4720041  
8319982011

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5500/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. D.D. CHAURASIA  
F/o Dr. Satyam Chourasia  
Address- VISHWANATH COLONY, ASHOK DALDA WALON KE  
PAAS CHHATARPUR MP 471001  
8602613205

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5501/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAMCHARAN PANDEY  
F/o Dr. Siddhi Kumari Pandey  
Address- NEAR DEO OFFICE, C V RAMAN WARD SEONI M P-  
480661  
9424381751

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5502/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. GANGA RAM AMBEDKAR  
F/o Dr. Alka Ambedkar  
Address- H NO. 429/11, BHALUMADA KOTMA COLLERY  
ANUPUR MP-484336  
7440911068

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5503/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHARVAN KUMAR DWIVEDI  
F/o Dr. Neelesh Dwivedi  
Address- 23 LALA RAM NAGAR INDORE MP 452001  
74151051233

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5504/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ANUP KUMAR SRIDHAR  
F/o Dr. Aarti  
Address- 1521/7 HARI OM BHAWAN, VPO SAMPLA DISTT.  
ROHTAK HARYANA  
9729563287

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5505/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SUBHASH MEHTA  
F/o Dr. Shruti Mehta  
Address- M.J HOSPITAL BASANT VIHAR, DADABARI KOTA,  
DADABARI KOTA DADABARI KOTA RAJASTHAN 324009  
9660027212

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5506/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJBIR YADAV  
F/o Dr. Ria Yadav  
Address- 11, SEC. 1, REWARI, REWARI HARYANA - 123401  
7742650005

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5507/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. AJIT KUMAR JAIN  
F/o Dr. Harsh jain  
Address- 10 SITABAGH COLONY BEHIND REGAL INDORE MP  
8839041593

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5508/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. JOKHU LAL GUPTA  
F/o Dr. Aarti Gupta  
Address- KARAUDIYA SOUTH, GOPAL DAS ROAD,  
GOPADBNAS, SIDHI MP PINCODE - 486661  
8962885111

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5509/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BASANT KUMAR PATEL  
F/o Dr. Varsha Patel  
Address- 11/233, TILAK NAGAR BEHIND BLOCK OFFICE,  
HUZUR, REWA REWA MP PINCODE - 486001  
8989941407

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5510/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BALMIK PRASAD GUPTA  
F/o Dr. Vivek Gupta  
Address- H.NO.- 38 BG, FIRST FLOOR, SCHEME-74-C VIJAY  
NAGAR INDORE MP PINCODE - 452010  
9569228884

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5511/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ASHOK KOTHARI  
F/o Dr. Akriti Kothari  
Address- 4 HANUMAN GALI KHARWAL RATLAM MP  
PINCODE 457226  
9406636849

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5512/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. M K ASHOKAN  
F/o dr. vishaka  
Address- AKSHARA, ADOOR P.O KADACHIRA, KANNUR,  
KERALA 670621  
94968556132

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5513/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. JAYAPRAKASAN K  
F/o dr. vishnu  
Address- SANKARAMANGALAM, PANNIYANNUR,  
PANNIYANNUR POST, PARAL S.O.PARAL, KANNUR, KERALA,  
670671  
9446081772

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5514/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PRAKASH CHANDRA GUPTA  
F/o dr. gaurav  
Address- 405 SANKALP APARTMENT GANDHI NAGAR  
PADAV GWALIOR MP PINCODE-474002  
8770986464

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5515/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ARUN AHARWAL  
F/o dr. tanusree  
Address- 121 SADHNA SAKAN SANGAM COLONY NEAR JAIN  
MANDIR BALDEOBAGH JABALPUR MP PINCODE 482002  
7354783666

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5516/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. VIJAY BAHADUR SINGH  
F/o dr. rashmi  
Address- VILL - MANIKPUR, POST KENDA THE - KOTA DIST -  
BILASPUR CG  
7697858414

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5517/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. GULAB SINGH SOLANKI  
F/o dr. shivanand  
Address- B 12 INDIRA COLONY BURAHNPUR BURHANPUR  
MP PINCODE - 450331  
8770644622

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाब समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5518/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. KAILASH NARAYAN RAJAK  
F/o dr kapil  
Address- BEHIND OF DURGA TALKIES NAI SADAK GUNA MP  
473001  
8871379100

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5519/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. VIJAY SINGH PARIHAR  
F/o dr arjun  
Address- 29/389 HARINANDAN COLONY GHOSI PURA  
GUNA GUNA MP PINCODE - 473001  
7389825405

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5520/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJENDRA KUMAR  
F/o dr ankita  
Address- H. NO. 1287/8 UDAY NAGAR NO.- 2 V.F.J.  
SECTOR-2 JABALPUR MP 482009  
8600431336

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5521/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJEEV GUPTA  
F/o dr shreya  
Address- 123 J SCHEME NO 71 SECTOR A NEAR GUMASTA  
NAGAR INDORE MP PINCODE - 452009  
8989459478

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5522/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SUNIL KUMAR JAIN  
F/o dr. vaishali  
Address- 79 MAMTA VILLA EKTA NAGAR NEAR  
VIKRAMADITTYA COLLEGE MR4 ROAD, JABALPUR-482001  
9977415805

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5523/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. GOPALKUMAR V  
F/o dr. vandana  
Address- GURUSOOKTHAM(H), KAROLI HAZAM  
KARUVISSERI KOZHIKODE-673010  
8281969572

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5524/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHANKAR LAL SAINI  
F/o dr. jyothi  
Address- H.NO-31 WARD NO. 24 ASHOK MARG IN FRONT  
OF GARDEN SCHOOL, NEEMUCH MP-458441  
7089194721

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5525/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJENDRA PRASAD SINGH KANWAR  
F/o dr. anjali  
Address- WARD NO. 5 NIGAM COLONY PALI ROAD THE-  
SOHAGPUR SHADOL  
7389715796

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5526/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJESH SHARMA  
F/o dr. anjuri  
Address- FLAT NO. 204 TRESURE IRIS TO TOWER INDORE  
MP -452012  
7697190476

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5527/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. HARIPRASAD GEKAM  
F/o dr. rahul  
Address- HEALTH CLUB COLONY WARD NO.5 WARASEONI  
DIST-BALAGHAT M.P 481331  
8435912292

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर**

क्रमांक 5528/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. BHIM SINGH MORI  
F/o dr. anil  
Address- MAHAKALPURA, POST BAGH DHAR MP 454221  
7389712324

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5529/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. P. RADHAKRISHNAN  
F/o Dr Anjali Krishna  
Address- POURNAMI, PATHIYOOR(W), KEERIKAADP  
ALAPUHA KERALA, PIN 690508  
944603745

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5530/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SIDHARTH CHANDRAKAPURE  
F/o Dr Deepankar Chandrakapure  
Address- 24/STREET 27 / SECTORS-5 BHILAI DIST- DURG,  
C.G. PIN-490006  
7350185733

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5531/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. UMESH SHARMA  
F/o Dr Diksha Sharma  
Address- HOUSE NO. 607, ASHRAY GREEN CITY  
ADITYAPURAM, BHIND ROAD, GWALIOR  
8319129866

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5532/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHANKAR LAL SAINI  
F/o Dr Soumya Saini  
Address- H.NO-31 WARD NO. 24 ASHOK MARG IN FRONT  
OF GARDEN SCHOOL, NEEMUCH MP-458441  
7089194721

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5533/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. INDRADAMAN SHUKLA  
F/o Dr Amrita Shukla  
Address- 25/257, CHANKYA NAGAR, BYANKAT BATALLION,  
SAMAN ROAD, REWA REWA MP 486001  
8770789934

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5534/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. R SUBRAMANIYAN  
F/o Dr Lakshmy V Raj  
Address- PRANAMAM, SANATHANAPURAM PO  
KALARCODE, ALAPPUZHA KERALA 688003  
9567359581

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5535/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. VHANAPPA  
F/o Dr Mayur Kabade  
Address- 1625/2A, DHAGE MALA, KURDUWADI ROAD,  
BARSHI DIST SOLAPUR MAHARASTRA 413401  
8149809090

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5536/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. TOMY FRANCIS  
F/o Dr Stephy Maria Tom  
Address- ATTOKARAN HOUSE ST THOMS STREET  
KURIACHIRA S.O ANCHERY THRISSUR THRISSUR KERALA  
680006

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5240/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. MUKUL BHARGAVA  
F/o AKSHAY BHARGAVA  
Address- 11/39 ORA PARK COLONY NEAR JOLIY MEMORIAL  
MISSION SCHOOL JINENDRA VIHAR UJJAIN MP  
0

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5241/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SUDHIR GOLCHHA  
F/o AMAN GOLCHHA  
Address- H NO. 100 CANTT STREET NO. 6 SADAR BAZAR  
JABALPUR MP  
8989755588

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5242/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. C.R. PETER  
F/o AMRUTHA PETER  
Address- CHAKKALAKKAL HOUSE, KARTHEDOM,  
MALIPURAM P.O., DIST- ERNAKULAM, KERALA-682511  
0

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5243/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. NAGARAJAN A  
F/o ARAVINTH  
Address- 1/65(A), MANMATHAN KOVIL STREET, POOTTA  
POST SEMBARAMPATTU, VILLUPURAM TAMIL NADU  
0

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5244/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. VIRENDRA SOHANE  
F/o ARPIT SOHANE  
Address- S.S. TRADERS, WARD NO. 14 MAIN ROAD  
WARASEONI MP  
0

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5245/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. AKHILESH SINGHAL  
F/o ASMITA SINGHAL  
Address- BEHIND MANGA HALWAI SODHANI KA BADA  
DANAOLI LASHKAR GWALIOR MP  
0

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5246/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. AJAY KUMAR SINGH  
F/o DEEPTI SISODIA  
Address- H NO. 62 GALI NO. 10 SANGAM VIHAR COLONY  
NAJAFGARH NEW DELHI  
7389540259

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5247/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SAMLU SINGH TILGAM  
F/o HEMANT KUMAR TILGAM  
Address- VILLAGE KHURSIPAR POST BIRSA TEHSIL BAIHAR  
BALAGHAT MP  
8989853090

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5248/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. GANGARAM MAHOR  
F/o JULI MAHOR  
Address- 137 A KAVERI HOUSING SOCIETY KOLAR NAGAR  
NIGAM BHOPAL MP  
8839793969

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5249/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. LAXMAN SINGH CHOUHAN  
F/o MAHENDRA SINGH CHOUHAN  
Address- QUARTER NO. 25 TYPE 5/A BUILDING, SECOND  
FLOOR RESIDENTIAL COMPLEX SAGAR MP  
9926737844

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5250/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. GANESH MAHOBIA  
F/o MANISH MAHOBIA  
Address- H.No. 821 phase 2 samiksha town north civil line  
jabalpur MP  
8817551948

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5251/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. DILIP CHOTRANI  
F/o MAYANK CHOTRANI  
Address- 251 ONE TREE HILLS, BAIRAGARH BHOPAL MP  
9008759005

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5252/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. AYODHYA PRASAD PATEL  
F/o MUKESH PATEL  
Address- 38 VILL. MAHANDPUR POST KUMERIYA TEHSIL  
PATHARIYA DAMOH MP  
7879878711

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5253/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. PRADEEP SHRIVASTAVA  
F/o PARIVESH ANAND  
Address- BENIND SHANTI KUTIR, FRONT OF JOHN TOWER  
CIVIL LINES, REWA MP  
94223088423

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5254/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJU MAHISHI  
F/o RAGHURAM MAHISHI  
Address- H.NO. 692, VIMALA , II STAGE, RC NAGAR,  
BELAGAVI, DIST- DELAGAVI, KARNATAKA-590006  
9481743595

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5255/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHREERAM MUKATI  
F/o RAVINA MUKATI  
Address- VILL. MANKUND 368 TESHIL HATPIPLIYA DEWAS  
MP  
9617922355

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5256/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. HATIM KHAN  
F/o SHAHRUKH KHAN  
Address- 5 NOOR MAHAL KHAJRANA INDORE MP  
9009634481

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5257/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SRIDHARAN D  
F/o SRIMAAN S  
Address- H.NO.2, RAJI NAGAR, KANNADIKHPPAM, DIST-  
VELLORE, TAMILNADU-635807  
0

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5258/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJENDRAN S  
F/o SUGANYA R  
Address- H.NO.15, INDIRA NAGAR, 6THE CROSS, MEDICAL  
COLLEGE ROAD, DIST- THANJAVUR, TAMIL NADU-613007  
8220357156

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5259/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. M.P. GOSWAMI  
F/o VIBHA GOSWAMI  
Address- H.NO. 19 ISHAN PARISAR PHASE-2 ITI ROAD  
HOSHANGABAD MP  
7224806851

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5260/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. GYANCHAND JAIN  
F/o YASH JAIN  
Address- H.NO. 19, GAWALI PARA, DURG, DIST- DURG,  
CHHATTISGARH-491001  
8839133001

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5261/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. K VARGHESE  
F/o GESLIN VARGHESE  
Address- PLAVILA KIZHEKETHIL HOUSE, NJARACADU,  
THALAVOOR P.O., KOLLAM, KERALA-691514  
9685387491

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5262/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. VIMAL SINGH THAKUR  
F/o JOSHNA THAKUR  
Address- PATEL ATTA CHAKKI NEAR POLYTECHNIC COLLEGE  
SHAKTI NAGAR DAMOH MP  
0

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5263/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. KAMAL SINGH PRAJAPATI  
F/o NEETU PRAJAPATI  
Address- VILL. JAMNYA CHURRIKHAL POST RAMTEK TALUK  
KHIRKIYA HARDA MP  
8989014652

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5264/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. VIKRAM SINGH  
F/o NEHA SINGH PARIHAR  
Address- MIG 64 BANDHAVGARH COLONY SATNA MP  
7898817430

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5265/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. ONKAR SINGH THAKUR  
F/o PRAKASH SINGH THAKUR  
Address- H.NO. 1154 BEHIND SETHI BUILDING RAKSHA  
COLONY ROAD RANJHI JABALPUR MP  
9713216695

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5266/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. UTTAM CHAND GUPTA  
F/o RAHUL KUMAR GUPTA  
Address- 30/411, PURANA CHUNGI NAKA ROAD SHIBBA  
GALI GOPALPURA MORENA MP  
9770621628

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5267/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAJENDRA KUMAR SHARMA  
F/o RICHA VATSYAYAN  
Address- H.NO.500, CANTT ROAD, LUCKNOW G.P.O,  
LUCKNOW, UTTAR PRADESH-226001  
9839461646

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5268/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. RAMESH KUMAR NEMA  
F/o SHAILENDRA NEMA  
Address- ROOM NO 46 JR BOYS HOSTEL BUNDELKHAND  
MEDICAL COLLAGE SAGAR SAGAR MP - 470001  
8269170861

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5269/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. SHAILENDRA KUMAR THAKUR  
F/o Dr. Darwin kumar thakur  
Address- A-3 NO. 2 NPCC COLONY, F.B.P. FARAKKA  
MURSHIDABAD-742212  
8116477368

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5270/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. KISHANU CHANDELKER  
F/o Dr. Prakash chandelkar  
Address- VILL-DEVGAON POST-KHAPAKHATERA THE-AMLA  
INDIA BETUL  
9584130673

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

---

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5271/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. NATHURAM AHIRWAR  
F/o Dr. Rahul ahirwal  
Address- H.NO-217 MOHOLLA GULABPURA, VILLAGE AND  
POST MADIYA, THE-PRITHVIPUR, DIST-TIKAMGARH STATE-  
MP 472336  
9630466250

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5272/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. AJAY KUMAR  
F/o Dr. Devesh kumar  
Address- NAYA TOLA WARD NO-30 LAKHISARAI BIHAR-  
811311  
9903815996

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5273/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. NARENDRA SINGH  
F/o Dr. Nehal Singh  
Address- R-3 MATRACHAYA KHANDELWAL COMPLEX NEAR  
HOTEL GUZAR TOWERS NAGPUR ROAD JABALPR INDIA  
9425386801

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्ट्या संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 5274/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. TAPAN MODI  
F/o Dr Vedant Modi  
Address- P-58 INFRONT OF JAIN MANDIR SHARTI NAGAR  
JABALPUR  
9479758976

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर**

क्रमांक 5275/छात्र/ 2021

जबलपुर, दिनांक 03/06/2021

प्रति,

Mr. P.R. VIJAYA CHANDRAN  
F/o Dr VS Haritha  
Address- HARITHAM TC 6/751-4 STRA 34 ULLOOR  
AKKULAM ROAD THURUVIKKAL P.O.  
THIRUVANANTHAPURAM, KERALA 695011  
9446047048

विषय : जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में।

—

महोदय,

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आपका पुत्र/पुत्री अध्ययनरत् है। जूनियर डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर जूनियर डॉक्टर दिनांक 31 मई, 2021 से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आपका पुत्र/पुत्री भी कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर इस हड़ताल में भाग ले रहा है/रही है। इस संबंध में संबंधित छात्रों को मेरे द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र भी दिनांक 31 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसमें दो दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर संबंधित को दिया गया था। किन्तु इस संबंध में जवाब प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया है, के आधार पर इन्हें प्रथम दृष्टया संस्था के अनुशासन के उल्लंघन का दोषी माना गया है। "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" के नियम 3 (iv) में प्रावधान है कि "अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है।"

2. **Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002**, जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित है, के अध्याय 1 के पैरा 1.1.2 एवं 1.2.1 के अनुसार भी उक्त कृत्य व्यावसायिक आचरण के विपरीत है। इन प्रावधानों के अनुकूल आचरण न होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा इनकी चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं आपका ध्यान राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा)" में चिकित्सा सेवा प्रदाय करने को "अत्यावश्यक सेवा" में घोषित किया है तथा इस अधिसूचना में प्रकाशित सेवाओं में सेवा प्रदाय करने से स्वयं को विरत रखने अथवा अवरोध उत्पन्न करने को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

4. दिनांक 02 जून, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह पाया है कि जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हड़ताल औचित्यहीन है और इसमें संलग्न/सम्मिलित रहने वाले सभी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा संस्था में स्थापित अनुशासन का उल्लंघन कर स्वयं को कदाचरण का सहभागी बना लिया है। अतः अनुशासन समिति ने इन सभी प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाहियां करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया है।

5. कृपया इस संबंध में आप अपने पुत्र/पुत्री को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर की गई शुरुआत के दौर में ऐसा अव्यावसायिक कृत्य न करने के संबंध में समझाईश दें और उन्हें तत्काल अपने नियत कार्यस्थल पर अध्ययन/सेवा प्रदाय हेतु उपस्थित होने हेतु 02 दिवस में निर्देशित करें, अन्यथा मुझे उनको महाविद्यालय से निष्कासन करने, विश्वविद्यालय से नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने तथा अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने आरोप में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उचित समझाईश/परामर्श दें, ताकि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों को निर्वहन विभागीय नियमों की अपेक्षा अनुरूप करें।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता,  
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा  
महाविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश